FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

पारु देवी .... बनाम .... गोरखाराम वगैरा

किस्म मुकदमा ..... प्रार्थना पत्र 111, 128 RLR Act ..... नं. ..... 33 ..... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.2.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... खेताराम जारवा ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128 RLR ..... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 25/2/20 ..... को पेश हो। (हस्ताक्षर) विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/2/2020	प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगणो के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया । विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनु० । न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 4.45 pm पर लगाई गई । विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ । लिहाजा उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । अत: पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/3/2020 को पेश हो । (हस्ताक्षर) विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:33:53 IST
Reason: SelfAttested

11/3/2020 प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगण अनुपस्थित

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की भूमि सेंध सेंध आई हुई है (अज्ञात) की भूमि के सेटेलमेंट पुरानी माटे बनी हुई थी सो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गई है जिससे पक्षकारों को खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है वर्षात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में खेती कर लेते हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेजाबंदी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेजाबंदी आवेदन स्वीकार कर नेजाबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का नेजाबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बायतु को कमीशनर एवं सम्बन्धित भू.अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खेतों की पक्की नेजाबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर कर, पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से काम हो दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
11.3.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 /

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:33:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 273 दिनांकः— 11·3·2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पारू देवी पत्नी जवाराराम जाति जाट निवासी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. गोरधनराम पुत्र भगवानाराम वगैरा निवासी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 33 / 20

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चौखला पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 249 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

11.3.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 274 to 278 दिनांकः—

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पारू देवी
4. विप्रार्थीगण श्री गोरधनराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

sd/-
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:33:53 IST
Reason: SelfAttested